

स्वयं सहायता समूह के गठन संबंधी संक्षिप्त मार्ग निर्देशिका

क) स्वयं सहायता समूह गठन के प्रमुख बिंदु

1. लगातार तीन—चार बार तक किसी ग्राम/राजस्व ग्राम/ टोले में समुदाय के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संबंधी जानकारी प्रदान के बाद जागरूक लक्षित वर्ग की महिलाओं (पर्वतीय क्षेत्र हेतु 5–10 महिलायें तथा मैदानी क्षेत्र की स्थिति में 10–15 महिलायें) जो नियमित रूप से उपस्थित होती हों और समरूप समूह (affinity Group) का निर्माण करने की इच्छुक हों, को स्वयं सहायता समूह के रूप में गठित किया जायेगा।
2. ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों, पंचायतीराज प्रतिनिधियों, प्रतिष्ठित लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों के प्रति रुचि दिखाते हों या कम से कम इसके प्रति कोई विरोध/प्रतिरोध प्रदर्शित नहीं करते हों, का सहयोग समूहों के गठन हेतु लिया जायेगा।

ख) समूह गठन का आरम्भ

1. कौन लोग स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन सकते हैं?

- क) अति गरीब या गरीब परिवार की महिला सदस्य अथवा सहभागिता से गरीबों की पहिचान (Participatory Identification of Poor) प्रक्रिया द्वारा चिन्हित गरीब परिवार की महिलायें।
 - ख) उपरोक्तानुसार प्रत्येक चिन्हित परिवार की एक महिला, स्वयं सहायता समूह की सदस्य बन सकती है जिनकी उम्र 18–65 वर्ष के बीच हो,
 - ग) अपनी स्वेच्छा और समूह के सदस्यों द्वारा निर्धारित, नियमित रूप से बचत करने की क्षमता रखती हो।
 - घ) समूह में काम करने की इच्छुक हो।
 - च) बैठक में समय देने के लिये तैयार हो
2. जैसे ही लक्षित वर्ग की महिलायें (पर्वतीय क्षेत्र की दशा में 5–10 तथा मैदानी क्षेत्र की स्थिति में 10–15 महिलायें) चिन्हित होती है, सी0आर0पी0 / मिशन कर्मियों को इन चिन्हित महिलाओं के बीच मिशन की अवधारणा (स्वयं सहायता समूह के बारे में) विस्तार से रखनी होगी।
 3. यह कार्य फ़िलप चार्ट तथा अन्य आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) सामग्री, जैसे—पोस्टर, ब्रोशर, बैनर तथा फ़िल्म आदि (परियोजना की जानकारी देने हेतु निर्मित फ़िल्मो) के माध्यम से किया जाना चाहिये। सी0आर0पी0 समूह के सदस्यों से परामर्श

अथवा समूह के सदस्यों के निर्णयानुसार प्रथम औपचारिक बैठक की तिथि एवं बचत की राशि तय करने में सुविधादाता की भूमिका निभायेगा।

4. पहली बैठक के दिन सी0आर0पी0 टीम निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करने में स्वयं सहायता समूह के लिये सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगे।

क) प्रत्येक सप्ताह में सदस्यों की बचत राशि तय करना।

ख) साप्ताहिक बैठक का दिन एवं समय तय करना।

ग) समुदाय द्वारा स्वयं सहायता समूह की जरूरी नियमावली का निर्माण (साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत राशि, समूह का नामकरण, समूह के प्रतिनिधि एवं प्रतिनिधियों के चयन के बारे में बताना)

समूह के संचालन हेतु उपर्युक्त बातों को आवश्यक रूप से पालन करने की इच्छा रखना।

5. सी0आर0पी0 / परियोजनाकर्मी फिलप चार्ट और पोस्टर्स द्वारा सदस्यों को बताएंगे

क) स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की भूमिका

- साप्ताहिक बैठकों में नियमित रूप में शामिल होना।
- साप्ताहिक बचत में नियमितता।
- सामूहिक निर्णय लेना और उन पर अमल करना।
- संयुक्त/सामूहिक कार्यों में पहल करना।
- पंचसूत्र के बारे में बताना।

ख) साप्ताहिक बैठक एवं बचत की कार्यप्रणाली एवं प्रक्रियाएं

- स्वयं सहायता समूह अपनी नियमित साप्ताहिक बैठक तथा बचत जारी रखेंगे। यदि सी.आर.पी./मिशनकर्मी किसी कारणवश स्वयं सहायता समूह की साप्ताहिक बैठक में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो इसकी जानकारी स्वयं सहायता समूह को पहले से होनी चाहिए और स्वयं सहायता समूह खुद ही इस बैठक को नियमित रूप से कराये।
- बैठक समूह सदस्यों के घरों में बारी-बारी से आयोजित की जानी चाहिये या किसी सार्वजनिक स्थल पर भी सदस्यों की सहमति से बैठक की जा सकती है।
- पहले, प्रत्येक बैठक में समूह द्वारा चयनित अध्यक्ष बैठक की औपचारिक अध्यक्षता करेंगी लेकिन प्रत्येक बैठक के लिए समूह के सदस्य जिसके घर में बैठक प्रस्तावित

हो, उस सदस्य को बैठक की अध्यक्षता के लिए चुनेंगे या अगर सार्वजनिक स्थल पर बैठक हो रही हो तो बारी-बारी से प्रत्येक सदस्य को अध्यक्षता करने का मौका देंगे।

- इससे प्रत्येक सदस्य को समूह की बैठक की अध्यक्षता करने का अवसर मिलेगा। समूह का अध्यक्ष बैठक की समुचित रूप से अध्यक्षता करने में इन सदस्यों की मदद करेगा।
 - यदि गाँव में पंचायत भवन/सामुदायिक भवन उपलब्ध हों, तो बैठक स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
6. सभी लेन देन और खाताबही को प्रत्येक बैठक में ही लिखा जाना चाहिए। इस शर्त में बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि सभी सदस्य अवगत हों कि खाता-बही में क्या लिखा जा रहा है, और बैठक में जो बात उभरकर आई या जिस पर सामूहिक चर्चा एवं सामूहिक निर्णय लिया गया, उसको वास्तविक रूप से लिखा जा रहा है या नहीं। बैठक में लिये गये निर्णयों एवं खाता-बही में दर्ज बातों के प्रति हर सदस्य जवाबदेह होता है। अतएव इस तरह से पारदर्शिता तथा जवाबदेही, दोनों उद्देश्य स्थापित होते हैं और अमल में आते हैं।

ग) पदाधिकारी (नेता) एवं नेतृत्व

समूह के लिये नियमों के निर्माण और उन्हें अमल में लाने के लिये समूह के सदस्यों को राजी करना बहुत जरूरी होता है। इस काम के लिये नेतृत्व क्षमता की बहुत जरूरत होती है। समूह को ऐसे नेतृत्व की तलाश करनी चाहिए जो चर्चा सत्र में मार्गदर्शक और संप्रेषक (बाहरी जानकारी को समूह में बताना) की भूमिका अदा कर सके तथा आपसी विवादों का सामूहिक रूप से शांतिपूर्वक निपटारा करवा सके। प्रायः देखा गया है कि नेतृत्व ऐसी महिलाओं या लोगों के हाथ में चला जाता है जिनकी पहचान पहले से होती है, वे मुखर होते हैं और उनके पास जानकारी होती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुये एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत बने समूहों को अपने प्रतिनिधि के रूप में गरीब व्यक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनके अच्छे प्रतिनिधि बनने में सबको सहयोग करना चाहिए। समूह के तीन पदाधिकारी होंगे—पहला अध्यक्ष, दूसरा सचिव और तीसरा कोषाध्यक्ष। समूह का प्रयास रहेगा कि प्रथम दो में से कोई एक पदाधिकारी सबसे गरीब/उपेक्षित/असुरक्षित सदस्य हो।

घ) खाताबही का रखरखाव

खाताबही का सही रखरखाव समूह के संचालन के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारम्भ में कलस्टर समन्वयक/परियोजनाकर्मी/सी0आर0पी0 खाताबही दुरुस्त(लेखा-जोखा) रखने में सहायता कर सकता है लेकिन बाद में स्वयं सहायता समूह सदस्यों में से ही लेखा-जोखा

लिखने हेतु बुक कीपर को प्रशिक्षित कर तैयार किया जाना चाहिये। कलस्टर संगठक का काम समूह के लेखा—जोखा और खाताबही सभालने में मदद करना होगा।

गांव में प्रवेश के तीन माह के अन्तर्गत मिशन कर्मियों/सी0आर0पी0 द्वारा समूह से सदस्यों की पहचान कर उन्हें समूह का खाता—बही लिखने का प्रशिक्षण तथा समूह का खाता—बही लिखने की जिम्मेदारियों के अलावा अन्य जिम्मेदारियों के बारे में भी बताना चाहिए। समूह की आत्मनिर्भरता तथा पुष्टिकरण हेतु यह आवश्यक है कि ग्राम/राजस्व ग्राम स्तर पर समुदाय के लोगों में से एक व्यक्ति समूह के खाताबही लिखने का कार्य करने की पहल करें जब तक कि समूह के सदस्य इस हेतु प्रशिक्षित न हो।

च) स्वयं सहायता समूह बैठक के लिये मॉडल (आदर्श) कार्यसूची

स्वयं सहायता समूह की सदस्य साप्ताहिक बैठकों में निम्नानुसार कार्यवाही करेंगे:—

1. प्रार्थना (गीत)
2. गोलाकार में बैठना
3. परिचय (परस्पर)
4. हाजिरी (ठीक विद्यालय की तरह)
5. अध्यक्ष का चुनाव (हर बैठक में अलग—अलग)
6. बैठक के लिये कार्यसूची तय करना (चर्चा का विषय/एजेण्डा)
7. प्रत्येक सदस्य की बचत
8. समान मुद्दों पर चर्चा
9. ऋण की वापसी (पिछले ऋण की वापसी)
10. ऋण का आकलन (मांग)
11. प्राथमिकता निर्धारण (किनको/क्यों?)
12. ऋण प्रदान करना
13. लेखा एवं अन्य पुस्तिकाओं में चर्चाओं एवं जानकारियों को दर्ज करना
14. अन्य सामाजिक मुद्दे (तब तक चर्चा की जाये जब तक संबंधित मुद्दों पर कार्यवाही न हो)
15. अगली बैठक स्थल का निर्धारण
16. कार्यवाही (मिनट्स) पुस्तिका को पढ़कर सुनाना
17. सदस्यों के हस्ताक्षर
18. चर्चा पढ़ कर सुनाने के बाद बैठक समाप्ति के समय बैठक के अध्यक्ष एवं अन्य प्रतिनिधियों के साथ कलस्टर समन्वयक/सामुदायिक संगठक/सी0आर0पी0 का हस्ताक्षर।

आदर्श रूप से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मांग के अनुसार आपसी ऋण वितरण का काम जितना जल्दी हो, शुरू कर देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर प्रथम बैठक से ही ऋण वितरण का काम शुरू किया जा सकता है।

बक्सा, बैठक हेतु रजिस्टर और लेखा पुस्तिका जैसी समूह स्थापना सामग्री मिशन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

सामुदायिक समन्वयक/ सामुदायिक संगठक (सी0एम0)/ सी0आर0पी0 द्वारा सभी समूह सदस्यों की इस प्रकार से मदद करनी चाहिए कि वे पंचसूत्रों का पालन सुनिश्चित करें।

स्वयं सहायता समूह के पंचसूत्र

- साप्ताहिक बैठक:** सभी समूहों को साप्ताहिक बैठक आयोजित करनी चाहिए।
पर्वतीय क्षेत्र के किसी क्षेत्र विशेष में किसी माह में विषम भौगोलिक परस्थितियों के वृद्धिगत (यथा—अन्तर्वृष्टि/प्राकृतिक आपदा तथा हिमपात आदि) यदि साप्ताहिक बैठक संभव न हों तो अर्धमासिक बैठक आवश्य आयोजित की जाये विशेष परस्थितियों को छोड़ते हुये साप्ताहिक बैठक आयोजन को ही महत्ता दी जाये।
- साप्ताहिक बचत:** समूह की साप्ताहिक बैठकों में तमाम सदस्यों को अपनी साप्ताहिक बचत नियमित रूप से जमा करनी चाहिए। बैठक में सदस्यों की बचत की राशि इतनी होनी चाहिए जिसे प्रत्येक सदस्य नियमित रूप से बचत कर सके।
- नियमित आपसी ऋण प्रदान करना:** प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में सदस्यों की आवश्यकता अनुसार सामुहिक निर्णय कर ऋण की राशि देनी चाहिए।
- नियमित ऋण वापसी:** ऋण लेने वाले सदस्य को स्वयं सहायता समूह की बैठक में सदस्यों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सूद तथा मूल की वापसी करनी चाहिए।
- समूह की खाताबही नियमित रूप से लिखना:** समूह के सभी बहीखातों को नियमित रूप से उसकी बैठकों में ही लिखना चाहिए।

बैंक बचत खाता खोलना

समूह गठन के लगभग 4–8 बैठक के बाद जब समूह अपने द्वारा बनाये गये नियमों का सही—सही पालन करने लगता है तथा सदस्यों में स्थायित्व आ जाती है तो सामुदायिक समन्वयक को नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोलने के बारे में समूह में चर्चा करनी चाहिए।

ठीक इसके उपरांत सामुदायिक समन्वयक सी0आर0पी0/मिशनकर्मी तथा भविष्य में बैंक सखी द्वारा नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्पर्क साधने के लिए अपने क्षेत्रीय समन्वयक और प्रखंड परियोजना प्रबंधक को बताकर तथा बैंक जाकर परियोजना की विस्तृत

जानकारी बैंक प्रबंधक को प्रदान की जायेगी। एन0आर0एल0एम0 की विशेषताओं पर अवश्य प्रकाश डालें कि किस प्रकार यह मिशन पूरी तरह से स्वयं सहायता समूहों के विकास के प्रति समर्पित है तथा इसके द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाएँ जैसे पंचसूत्र, मिटिंग प्रक्रिया एवं सूक्ष्म वित्त योजना (Microcredit Plan) इक्रोप्लान इसे अन्य परियोजनाओं से अलग अपनी एक पहचान देता है। साथ ही साथ अपने कार्यक्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट की एक छायाप्रति भी बैंक प्रबंधक को देनी चाहिए तथा समूह की बैठक में आने के लिए भी आग्रह करें एवं सामुदायिक समन्वयक द्वारा समूह का खाता खुलवाने हेतु विभिन्न कागजात की तैयारी करायें। यहां ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि सामुदायिक समन्वयक को एक मार्गदर्शक के रूप में समूह को दिशा देनी चाहिए न कि आगे बढ़कर उसके बदले काम पूरा करना चाहिए।

विभिन्न बैंकों द्वारा खाता खोलने के लिए अलग—अलग कागजात की जरूरत पड़ सकती है हालांकि इसमें एकरूपता लाने के लिए एस.पी.एम.यू. तथा डी.पी.एम.यू. द्वारा प्रयास किया जाएगा।

बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक कागजात

1. स्वयं सहायता समूह सदस्यों की सूची
2. समूह की नियमावली की प्रति
3. उस बैठक के कार्यवाही की प्रति जिसमें सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं।
4. समूह की बैठक में बैंक खाता खोलने तथा इसके संचालन संबंधी पारित प्रस्ताव की प्रति
5. प्रत्येक चयनित पदाधिकारी के तीन फोटो।
6. वोटर पहचान पत्र/निवास प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
7. बैंक प्रपत्र में परिचायक का हस्ताक्षर। (परिचायक उस बैंक का कोई खाताधारक अथवा गाँव का प्रधान या मुखिया, सरकारी कार्यालय का प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, प्रोत्साहक संस्थाएं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि हो सकते हैं)।
8. समूह की मोहर (यू.एस.आर.एल.एम द्वारा प्रस्तावित)।

| | | |
|----------------------------------|------|------------|
| (समूह का नाम) | | |
| यू.एस.आर.एल.एम स्वयं सहायता समूह | | |
| राजस्व ग्राम/ग्राम का नाम | | |
| विकासखण्ड | | |
| जनपद..... | | |
| अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष |